Witness–NO–..**05**.....For–.....**अभियोजन साक्ष्य**.....Deposition taken this .....

17.03.2026.....day of.....**मंगलवार**...Witness apparent age– .....**62 वर्ष** .....

States on affirmation/My name is– .....**..तिरथ प्रसाद साहू....**.....

S/of– .....दैतारी साहू.....Occupation– .....**कृषि.**.....

Address–.....**साकिन–बिलाईगढ अ, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ (छ०ग०).....**

साक्ष्य प्रारंभ समयः–03.00 बजे से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए०डी०पी०ओ० वास्ते राज्य

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी योहान उर्फ किशन साहू एवं अन्य अनुपस्थित आरोपीगण मनोहर साहू, सुर्यकांती साहू, मीरा साहू, वेदप्रकाश साहू को जानता एवं पहचानता हूँ ।

02– प्रार्थिया ममता साहू मेरी भतीजी लगती है । ममता साहू का विवाह ग्राम कंचनपुर के निवासी योहान उर्फ किशन साहू के साथ वर्ष 2022 में सामाजिक रीति– रिवाज से हुआ था । किशोर चन्द्र साहू ने विवाह के ढेड–दो माह के बाद मुझे बताया था कि ममता साहू को उसके पति,सास–ससुर एवं ढेडसास पति के द्वारा उपहार में दिये गये सामग्री एवं वैगनआर कार को निम्न कोटी का कहकर विवाह के बाद से ही ममता साहू को प्रताडित करना शुरु कर दिये थे । इसकी जानकारी मिलने के बाद ममता साहू के पिता किशोरचंद साहू ने अपने परिवार के साथ गांव में एक बैठक बुलाया जिसमें मैं एवं ममता साहू के ससुराल के लोग जिसमें पति– योहान उर्फ किशन साहू, ससुर–मनोहर साहू, सास–फुलकांती साहू, ढेडसास–मीरा साहू, ढेडसास पति और बोईरडीह गांव के साधुलाल साहू एवं अन्य गांव के लोग भी थे । बैठक में हम लोगों ने ममता साहू के ससुराल वालों को समझाईस दिये कि विवाह के समय जो दहेज का सामान दिये थे उस सामान

से ही संतुष्ट होकर ममता साहू को अपने साथ लेकर जाओ । समझाईस देकर ममता साहू को उसके ससुराल भेज दिये थे कुछ दिनों के बाद उसके पिता किशोरचंद साहू ने मुझे बताया कि ममता साहू के ससुराल वाले उसे फिर से प्राताडित कर मारपीट करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिये हैं तब उसके पिता, ईश्वर साहू एवं और लोग रायगढ़ जाकर उसके पति के यहां से लेकर हमारे गांव लेकर आये और ममता साहू के पति एवं सास–ससुर में किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं होने के कारण ग्राम–बोईरडीह के साहू समाज में आवेदन दिये थे वहां भी ममता साहू एवं उसके सास–ससुर के मध्य कोई सामंजस्य नहीं हुआ तब ममता साहू और उसके माता–पिता के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस एस चौहान अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

03. यह कहना सही है कि मेरी भतीजी प्रार्थिया ममता साहू पति योहान उर्फ किशन के बीच विवाह तय होने का दिन, तिथि आज मैं नहीं बता सकता हूँ, साक्षी स्वतः कहता है कि अषाढ माह वर्ष 2022 में हुआ था । यह कहना सही है कि आरोपी के साथ विवाह के रिश्ता तय होने के समय मैं उपस्थित नहीं था । यह कहना सही है कि रिश्ता तय होने के समय लेन–देन देने के संबंध में क्या बात हुई थी, मैं नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि विवाह के समय अपने सामर्थ्य अनुसार सामानों का आदान–प्रदान आपसी सहमति से राजी खुशी से दिया गया था । यह कहना सही है कि मेरे सामने आरोपी के द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गयी थी ।

04. यह कहना सही है कि पुलिस वाले ने मेरा क्या बयान एवं कथन लिया था, मुझे पढ़कर नहीं बताया था, साक्षी स्वतः कहता है कि पुलिस वालों ने मेरे कहे अनुसार मेरा कथन लिया था । यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मेरा कथन किस, तिथि, दिन एवं तारीख को लिया था, मैं नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि ममता साहू को उसके पति, सास–

ससुर,ढेडसास, ढेडसास के पति के द्वारा प्रताडित करना बता रहा हूँ वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर बता रहा हूँ । यह कहना गलत है कि आरोपी एवं प्रार्थिया के पक्षों के द्वारा बैठक बुलाया गया था, उसमें मैं उपस्थित नहीं था । यह कहना सही है कि हर उपस्थित गांव के सदस्यों का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, साक्षी स्वतः कहता है कि मैं सबका नाम जानता हूँ , साक्षी स्वतः कहता है कि आरोपी एवं प्रार्थिया के परिवार के सदस्य तथा गांव के सरपंच, पटेल थे ।

05. यह कहना सही है कि गांव में जो बैठक कराया गया था उसका दिन, तिथि मैं नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि शादी के समय आरोपी के द्वारा किसी प्रकार का कोई दहेज की मांग नहीं की गयी थी, साक्षी स्वतः कहता है कि ग्राम–बिलाईगढ के सामाजिक बैठक में आरोपी द्वारा कार की मांग की गयी थी । यह कहना सही है कि सामाजिक बैठक के बाद प्रार्थिया एवं आरोपी दोनों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गया था और प्रार्थिया अपने ससुराल चली गयी थी । प्रार्थिया मेरी रिश्ते में भतीजी लगती है । यह कहना गलत है कि मैं, मेरी भतीजी के बहकाव में आकर आरोपी के विरुद्ध झूठा कथन कर रहा हूँ । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा थाना में जाकर पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था । यह कहना सही है कि आरोपी के द्वारा प्रार्थिया को किसी प्रकार से कोई प्रताडित नहीं किया गया है ।

साक्ष्य समाप्त समयः–03.40 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग)

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ (छ०ग)

साक्षी के हस्ताक्षर